

(रा.रा. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हाकरौली की जमाबन्दी संवत् 2077-80 खाता 200
संख्या 242 में मेरा/हमारे नाम वीजाराज पुत्र राजूराज हिटन / वीजाराज
हिटन / राजूराज / वीजाराज / राजूराज
दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम वीजाराज पुत्र राजूराज
हिटन है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

पृथी के क्लियर कॉपी, राशन कार्ड एवं वीर्य कार्ड इत्यादि में नाम
वीजाराज पुत्र राजूराज जति हिटन है जबकि राजस्व रेकॉर्ड में वीजाराज
पुत्र राजूराज है अतः शुद्ध नाम वीजाराज पुत्र राजूराज जोड़ कर वीजाराज
किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

तहसीलदार समदडी

GCMs- 2025/637

आदेश

तहसीलदार समदडी

दिनांक 10/10/2025

क्रमांक / 1653 /

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम हाकरौली की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता
संख्या 242 में वीजाराज पुत्र राजूराज

के वजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

वीजाराज पुत्र राजूराज

कर्म की स्वीकृति प्रदान

की जाती है अनुसार हाकरौली ग्राम की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना, बालोतरा